म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
59, द्वितीय तल, ''सी'' ब्लॉक नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 1852 /सा.अ/एनआर–06/13,   भोपाल, दिनांक :22/02/2013

प्रति,

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)/कलेक्टर,
   जिला– मण्डला
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)/मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत– मण्डला
   मध्यप्रदेश।

विषय :– पायलेट सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायतों में पाई गई अनियमितताओं के विरूद्ध कार्यवाई।
संदर्भ :– जनपद पंचायत मण्डला से ई मेल द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन।

––0––

विषयांतर्गत मण्डला विकासखण्ड अंतर्गत पायलेट सामाजिक अंकेक्षण पश्चात प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत लिंगामाल, मवईजर एवं बक्छेरादौना में फर्जी भुगतान एवं राशि का गबन होना पाया गया है। तत्संबंध में संबंधित पंचायतों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु जिला पंचायत को अवगत कराए जाने का उल्लेख प्रतिवेदन में किया गया है।

कृपया बतावें कि जिला स्तर द्वारा इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है तो फर्जी भुगतान एवं गबन की गई राशि की गणना करते हुए वसूली की कार्यवाही एवं दोषी के विरूद्ध एफ.आई.आर किया जाना सुनिश्चित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावें।

22-2-13

(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृ. क्रमांक 1853 एनआर–06/सा.अं./2013   भोपाल, दिनांक 22/02/2013

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत–मण्डला की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. नेहरू युवा केन्द्र संगठन, भोपाल एवं मण्डला की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल